अस्थाई रजिस्ट्रीकरण

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2 के उपनियम 1 के अनुसार निम्न प्रयोजन के लिये अस्थाई रजिस्ट्रीकरण होगा–

1. जब कोई मोटरयान निर्माता द्वारा डीलर या सबडीलर को विक्रय किया गया हो,
2. जब कोई मोटरयान डीलर द्वारा विक्रय किया गया हो और उसको रजिस्ट्रेशन के लिये उस जिले की रजिस्ट्रीकर्ता की प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र से दूसरे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाता हो,
3. जब कोई मोटरयान चेसिस के रूप में बेचा गया हो और उसे बॉडी निर्माता के परिसर में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाता हो,

अस्थाई रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

1. प्ररूप आर.एस. 4.1 में आवेदन
2. मूल बिल की प्रति
3. निर्धारित फीस

नोटः– रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई प्रमाणपत्र प्ररूप आर.एस. 4.2 में जारी किया जायेगा और साधारणतया एक मास के लिये विधिमान्य रहेगा।

यदि वाहन चैसिस के रूप में है और उसकी बॉडी निर्माण का कार्य एक माह से अधिक अवधि के लिए चालू रहता है वहाँ निर्धारित फीस के साथ संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करने पर अस्थाई रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है

प्ररूप आर.एस. 4.1
अस्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

1. पूरा नाम, पिता/पति का नाम तथा पता जिसको रजिस्ट्रीकृत–स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना है ....
2. व्यक्ति की आयु जिसे रजिस्ट्रीकृत–स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना है........... ....
3. उस व्यक्ति का नाम व पता, जिससे यान खरीदा गया है ....
4. खरीद का दिनांक ....
5. मेकर का नाम ....
6. यान की श्रेणी ....
7. बॉडी का प्रकार..........................
8. निर्माण का वर्ष ....
9. सिलेंडरों की संख्या ....
10. हौर्स पावर (अश्व शक्ति) ....
11. मेकर का वर्गीकरण या पता न हो तो व्हील बेस ....
12. चेसिस सं. ....
13. इंजिन संख्या ....
14. बैठक क्षमता (मय चालक के) ....
15. लदान रहित वजन ....
16. पहले के रजिस्ट्रीकरण का विवरण और रजिस्ट्रीकरण संख्या .... (यदि कोई हो)
17. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि–यह यान भारत के किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाया गया है।

मोटर कारों के अलावा अन्य परिवहन–यानों की दिशा में अतिरिक्त–विवरण पूरा किया जाना है।

18. बॉडी, विंग्स और फ्रंट का रंग/के रंग .... और
19. स्थान जहां यान को ले जाना प्रस्तावित है ....
20. स्वामी का उस स्थान का पता जहां यान को ले जाना प्रस्तावित है।
21. रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए ले जाने की स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि बॉडी का निर्माण कराया जाना है।

दिनांक ....   हस्ताक्षर आवेदक